हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

जल शक्ति विभाग

भारत के नियन्त्रक -महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 201 3-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित है।

236<u>वाँ प्रतिवेदन</u>

(दिनांक: 12अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-12)

समिति का गठन

सभापतिः

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्यः

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **236 वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि **जल शक्ति विभाग** से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 201 3-14(राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

समिति(वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति, सचिव(जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर की सूचना दिनांक 07 अक्तूबर, 2015, 13 मई, 2016, 07 जुलाई, 2017 व 30 मई, 2022 को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक 03 **अगस्त, 2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

आशा कुमारी

दिनांक: 03**अगस्त, 2022**
शिमला-171004.

(आशा कुमारी)
सभापति,
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

जल शक्ति विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 20 13-14(राज्य के वित्त/ सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्या: 2.3	वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन
2.3.1	बचतें
पैरा संख्या: 2.3.3	अधिक व्यय
पैरा संख्या: 2.3.4	निरन्तर अधिक व्यय
पैरा संख्या: 2.3.5	बिना प्रावधान के व्यय
पैरा संख्या: 2.3.6	बजट अनुदान के व्यपगमन से बचने के लिए निधियों का आहरण
पैरा संख्या: 2.3.7	नियमन हेतु अपेक्षित प्रावधानों पर आधिक्य
पैरा संख्या: 2.3.11	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण
पैरा संख्या: 2.3.13	व्यय का तीव्र प्रवाह
पैरा संख्या: 3.4	दुर्विनियोजन/ हानि, चोरी आदि

टिप्पणी

उपरोक्त सभी पैरे वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने अपना अभिमत समिति के 171वें प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा)में दे दिया है तथा दिनांक 08.03.2021 को सदन के सभा पटल पर उपस्थापित किया जा चुका है। अत: उक्त पैरों को इस प्रतिवेदन से समाप्त समझा जाए।

पैरा संख्या: 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

टिप्पणी

समिति ने इस पैरे को यहां से इस आशय से समाप्त किया है कि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के पैरा संख्या: 1.8.1 में अपेक्षित रहेगी।

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

पैरा संख्या: 2.3	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वन
पैरा संख्या: 2.3.1	परिचय
पैरा संख्या: 2.3.2	संगठनात्मक ढांचा
पैरा संख्या: 2.3.3	लेखा परीक्षा उद्देश्य
पैरा संख्या: 2.3.4	लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पद्धति
पैरा संख्या: 2.3.5	लेखा परीक्षा मानदण्ड़
पैरा संख्या: 2.3.7	कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थानिक ढांचा
2.3.7.1	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
पैरा संख्या: 2.3.7.2	राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति
पैरा संख्या: 2.3.7.3	राज्य तकनीकी एजैंसी
पैरा संख्या: 2.3.7.4	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
पैरा संख्या: 2.3.7.5	ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति
पैरा संख्या: 2.3.8	वित्तीय प्रबन्धन
2.3.8.1	निधियन पैटर्न
पैरा संख्या: 2.3.8.4	मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की अप्रयुक्ति तथा अपवर्तन
पैरा संख्या: 2.3.8.5	निधियां जारी करने में विलम्ब
पैरा संख्या: 2.3.8.7	प्रोत्साहन की उपलब्धता
पैरा संख्या: 2.3.9.4	जलापूर्ति स्कीम के निष्पादन पर निष्फल व्यय तथा परिहार्य हानि
पैरा संख्या: 2.3.9.8	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा शासित चिन्हित बस्तियों हेतु निधियों का अपवर्तन
पैरा संख्या: 2.3.9.13	जलापूर्ति स्कीमों का परिचालन एवं अनुरक्षण
पैरा संख्या: 2.3.9.14	केन्द्रीय आबकारी छूट प्राप्त न करने के कारण राज्य राजकोष को हानि
पैरा संख्या: 2.3.10	सहायक कार्यकलाप
पैरा संख्या: 2.3.10.1	कार्यकलापवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां
पैरा संख्या: 2.3.11	जल गुणवत्ता अनुश्रवण तथा निगरानी
पैरा संख्या: 2.3.12	आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र
पैरा संख्या: 2.3.12.1	परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
पैरा संख्या: 2.3.12.2	अनुश्रवण एवं जांच यूनिट
पैरा संख्या: 2.3.12.3	सामाजिक लेखापरीक्षा
पैरा संख्या: 2.3.12.4	अन्य कार्यक्रम/स्कीमों के साथ व्याप्ति
पैरा संख्या: 2.3.12.5	आवश्यकता/प्रयुक्ति जाने बिना पाईपों की खरीद
पैरा संख्या: 2.3.13	निष्कर्ष
पैरा संख्या: 2.3.14	सिफारिशें
पैरा संख्या: 3.8	जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि पर निष्फल
पैरा संख्या: 3.9	प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण पर निष्फल व्यय

टिप्पणी

उक्त पैरों के विभागीय उत्तरों पर विचार-विमर्श उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने पैरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

पैरा संख्या: 2.3.6 <u>योजना</u>

2.3.6.1 <u>विस्तृत योजनाएं बनाना</u>

समिति ने दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि क्या विभाग द्वारा जिलावार जो जल सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं उसे केन्द्र को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा गया है ? समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए। यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(NRDWP) से संबंधित है। विभाग का यह प्लान अभी तक नहीं बना है के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि यह प्रोग्राम जो एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 है वह समाप्त हो गया है। यह जल जीवन मिशन में सब्स्यूम हो गया है। जे0जे0एम0 में तो बाकायदा एनुअल ऐक्शन प्लान बनती हैं जिसको विभाग "AAP" कहता है। एनुअल ऐक्शन प्लान गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को पोज़ होता है। यह योजना हर साल की बनती है। इस पर समिति ने कहा कि जे0जे0एम0 तो अभी विभाग का शुरू हुआ है। विभाग बताए कि कौन-कौन सी प्लान बनी हैं ? इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि 2019-20 और 2020-21 की प्लान बनी हैं। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। उसकी गाइडलाइन यह थी कि हर विलेज में फाइव ईयर का एक विलेज ऐक्शन प्लान बनेगा और ऑवरऑल ग्राम पंचायत डवलपमैंट प्लान है उसका एक पार्ट होगा। विभाग ने इसमें तीन बार स्पेशली ग्राम सभाएं आयोजित कीं। अभी तक विभाग के डाटा के हिसाब से 18188 गांव हैं, उनमें से 16525 में विलेज ऐक्शन प्लान बन गया है। विलेज ऐक्शन प्लान में उसकी फ्यूचर रिक्वायरमैंट, उसके सोर्सिज, उनकी प्रोटैक्शन, ये सारे उसके पार्ट हैं। ग्राम सभा की मीटिंग में लोगों से डिस्कस करके प्लान फाइनल होता है और इसको एम0आई0एस0 की साइट पर अपलोड करते हैं। इसको गवर्नमैंट ऑफ इंडिया भी असैस करती है और वे गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर रिफ्लैक्ट करते हैं। इस पर समिति ने जानना चाहा कि यह काम कब तक कम्प्लीट हो जाएगा और विभाग कह रहा है कि यह स्कीम ही बंद हो गई है के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि जल जीवन मिशन तो अभी लॉन्च हुआ है। विभाग ने 18188 में से 16525 में विलेज ऐक्शन प्लान बना दिए हैं और शेष बन रहे हैं। अभी 2 अक्तूबर को भी ग्राम सभा प्लान्ड है और जो प्लान बचे हैं सम्भव है कि वे 2 अक्तूबर को ही कम्प्लीट हो जाएंगे। इस पर समिति ने कहा कि सचिव, जल शक्ति के माध्यम से विभाग महालेखाकार कार्यालय को इस बारे में अवगत करवाए। इसमें विभाग अवगत करवाए कि विभाग पाइप्स तो बिछा रहा है लेकिन पीछे सोर्स में पानी तो उतना ही है। अब जैसे विभाग बता रहा है कि 5 साल का प्लान है उसमें विभाग विचार-विमर्श करके क्या शामिल करता है? इस सन्दर्भ में विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि इसमें फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें उसकी फ्यूचर रिक्वायरमैंट शामिल होती है। पहले कौन-सा सोर्स उपलब्ध है, उसमें कितना पानी है और अगले सोर्स पर अगर जाना पड़ेगा तो कहां जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें योजना का भाग है ताकि जब विभाग ऑवरऑल 15 या 30 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान बनायेगा तो विभाग की ऑलरेडी जगह आइडेंटीफाई होगी कि पानी कहां से प्रोवाइड करना है। मोस्टली आजकल विभाग की मल्टी विलेज स्कीम बन रही हैं। जो नई स्कीमें बन रही हैं उसमें सिंगल विलेज कम हैं। जो पानी के बड़े लेवल के सोर्स हैं उसी को ही आइडेंटीफाइड कर रहे हैं ताकि विभाग उनकी फ्यूचर रिक्वायरमैंट असैस करके उसी सोर्स से पूरी कर सकें। इस पर समिति ने जानना चाहा कि विभाग सिर्फ पानी के कनैक्शन ही दे रहा है, नल लगा रहा है मगर सोर्स को डवैल्प करने और वहां से पानी उठाने के लिए कितनी स्कीम्ज पर कार्य कर र हा है? इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि जो इस साल की विभाग की जे0जे0एम0 की प्राथमिकताएं हैं उसमें विभाग ने एक पेराडाइम शिफ्ट (Paradigm Shift) किया है। पिछले साल (वित्तीय वर्ष 2020-21)

विभाग का टारगेट 244351 एफ0एच0टी0सी0 लगाने का था उसके अगेंस्ट विभाग ने 380000 का टारगेट पूरा किया। कहने का मतलब यह है कि विभाग ने 155 परसैंट लास्ट ईयर के टारगेट से ज्यादा लगाए थे। अब विभाग ने बहुत सोच-समझकर निर्णय लिया है और इस वर्ष एफ0एच0टी0सी0 कम लगाने का टारगेट है। 226000 का टारगेट लिया है। माननीय समिति ने जो बात उठाई है, इस साल विभाग का फोकस इस तरफ है कि जो नल लगे हैं उनमें 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो तभी विभाग उसको रियल सैंस में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन(Functional Household Tap Connection (FHTC) का नाम दे सकते हैं। इस बार विभाग का सारा बल रेट्रोफिटिंग व ऑगमेंटेशन पर है और इस साल प्रॅपोज्ड है कि विभाग 880 स्कीम्ज को मुकम्मल करेंगे। तो विभाग ने एक पेराडाइम शिफ्ट बैलेंस स्ट्राइव करने के लिए किया है ताकि जितने नल लग गए हैं और जितने नल बाकी लगने हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। इस पर समिति ने जानना चाहा कि विभाग के सोर्सिज़ हैं कहां? ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से सूखे हैं , जब तक विभाग के पास उस क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं है जहां पानी का कोई स्रोत नहीं है, विभाग की योजना क्रियाशील नहीं हो सकती है। दूसरी समस्या तब पैदा होती है जब एक गांव दूसरी पंचायत में हो और स्रोत किसी दूसरी पंचायत में हो और उस पंचायत के लोग अपनी पंचायत से उस पंचायत में पानी नहीं ले जाने देते तो विभाग उस पंचायत को पानी उपलब्ध कराने की योजना कैसे बना रहा है जहां कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है ? या तो विभाग रिसोर्स बना दें तो अलग बात है के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि जो सोर्सिज उपलब्ध हैं उन्हीं को ही टैप करेंगे। इस पर समिति ने जानना चाहा कि तकनीकी रूप से कहा जाए तो विभाग एक गांव में पानी के पुराने स्रोत से 100 कनेक्शन उपलब्ध कर वा रहा है तो पुरानी योजना धराशायी हो जाएगी। तो यह संभव नहीं है। पहला चरण स्रोत होना चाहिए। जब सोर्स होगा तो चाहे ट्यूबवैल हो या मिनी ट्यूबवैल हो तो ही 100 लोगों को पानी दे सकते हैं। आज हो यह रहा है कि विभाग ने सभी जगह पाइपों का जाल बिछा दिया है, यह बहुत अच्छी बात है कि विभाग हर घर में नल का कनेक्शन दे रहा है लेकिन उसमें पानी नहीं है। पहले तो सोर्स होना चाहिए। सोर्स के बिना पाइपें डालने का कोई मतलब नहीं है। स्रोत मानचित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विभाग राज्य में स्रोत मानचित्रण करेगा ? समिति को नहीं लगता कि विभाग ने ऐसा किया है। विभाग को धरातल पर कोई जानकारी नहीं है। समिति अधिशासी अभियन्ता को बताती है कि उस जगह सोर्स हैं, किसी अधिकारी को भेज दीजिए वे सोर्स को देख सकते हैं। अगर पहले ही स्रोत मानचित्रण होता तो उनको पहले से सोर्स के बारे में पता होता। लोक ही उनको स्त्रोत के बारे में बताते हैं। विभाग स्रोत मानचित्रण करवा ले यह बहुत बड़ी कसरत नहीं है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि स्रोत मानचित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर समिति ने जानना चाहा कि पहली बात तो यह है कि ग्राम पंचायतों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि विभाग के डिपार्टमैंट के लोग ग्राम सभा में नहीं जाते। अकसर गांव के लोगों से शिकायतें प्राप्त होती है और समिति ने पाया कि जल शक्ति विभाग गायब है। लोगों की समस्या जल शक्ति विभाग के साथ सबसे ज्यादा है। वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0, फॉरैस्ट और ब्लॉक वाले अधिकारी तो अवश्य थे लेकिन जल शक्ति विभाग के नहीं थे। 15 अगस्त को झंडा फहराना था और उसी दिन ग्राम सभा भी थी तत्कालीन समिति ने ग्राम सभा में भी भाग लिया और विभाग के साथ कई समस्याएं आ रही थीं। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के लोग कभी ग्राम सभा में नहीं आते। कृपया सुनिश्चित करें कि विभाग के प्रतिनिधि ग्राम सभा में अवश्य जाएँ। ग्राम सभा को महत्वहीन समझना कोई ठीक बात नहीं है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने सहमति व्यक्त की। इस पर समिति ने जो चाहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पी0डब्ल्यू0डी0 ने विलेजिज़ रोड़ का कोर नेटवर्क बनाया कि कौन -सा विलेज सड़क से जुड़ा है और कौन -सा नहीं जुड़ा है। विभाग के डिवीजन में पानी के कितने सोर्स हैं , वे सोर्स प्राइवेट लैंड में हैं या गवर्नमैंट लैंड में हैं अगर विभाग उनको चिन्हित कर पा एगा तो विभाग को स्कीमों को इम्प्लीमैंट करने में आसानी हो जाएगी। अब विभाग के नेचुरल सोर्सिज में पानी कम हो गया है , अब विभाग को मैक्सिमम

स्कीमों में पानी को लिफ्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन विभाग को पानी का स्त्रोत चिन्हित करना पड़ेगा। कोर नेटवर्क टाइप बनाना पड़ेगा जिसके बेसिज पर विभाग को आगे चलना है। विभाग के लिए गांवों की संख्या जानने से ज्यादा स्त्रोतों की संख्या जानना जरूरी है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि इसमें स्त्रोत मानचित्रण करवा लेते हैं। इस पर समिति ने चाहा है कि जो स्कीमें कुछ छोटी-छोटी समस्याओं की वजह से लम्बित पड़ी हुई है पहले उनकी लिस्ट बनाकर उनको पूरा करवाईये। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि अगर विभाग सोर्स की मैपिंग कर लेगा तो विभाग के पास रेडली सारा डाटा उपलब्ध होगा। अत: समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा उपरान्त पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

विभाग ने उक्त के सन्दर्भ में अतिरिक्त सूचना द्वारा समिति को अवगत करवाया कि:-

1(i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अब जल जीवन मिशन में सब्स्यूम हो गया है एवं ग्रामीण की योजना, कार्यवहन, ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के परिचल एवं अनुरक्षण में स्क्रीय भागीदारी निश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में ग्राम कार्य योजना (Village Action Plan) एवं ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति(VWSC) का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए अब तक 18188 ग्राम योजना एवं 18149 ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति तैयार की जा चुकी है।

(ii) कार्यक्रम को निश्चित दिशा देने तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल प्राप्ति हेतु ग्राम कार्य योजना को तैयार किया जाता है। प्रदेश में 18188 ग्राम योजना तैयार की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत ग्राम कार्य योजना गांव की जलापूर्ति/जल उपलब्धता का पूर्ववृत, किसी सुखा/जल अभाव/चक्रवात/बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा पद्वति का विवरण, जल स्त्रोत में जल की वर्तमान उपलब्धता, गांव में जल की आवश्यकता का आकलन और उपलब्ध संसाधन, सभी बस्तियों में मौजूद एफ0एच0टी0सी0 की संख्या, ग्राम पंचायत और/अथवा इसकी उप समिति अर्थात वी0डब्ल्यू0एस0सी0/पानी की समिति, जल के विवेकपूर्ण उपयोग के द्वारा समुदाय में जागरूक करना तथा जल सुरक्षा और संरक्षण योजना करने का कार्य सुनिश्चि करती है तथा जल सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य पूर्ण करती है।

<u>टिप्पणी</u>

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय उत्तर पर विचार -विमर्श करने उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुएपैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा संख्या: 2.3.8.2<u>निधियों की उपलब्धता तथा प्रयुक्ति</u>

<u>सिफारिश</u>

समिति निर्देश देती है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृति न हो को रोकने हेतु विभाग ठोस पग उठाए।

पैरा संख्या: 2.3.8.3<u>राज्य अनुरूप निधियां</u>

<u>सिफारिश</u>

(i) विभाग का कथन है कि NRDWP योजनाओं के लिए राज्य बजट भाग में किए गए प्रावधान से ही state share पूर्ण किया जाता है तथा राज्य भाग को NRDWP प्रोग्राम फण्ड में जमा नहीं करवाया जाता। समिति जानना

चाहती है कि क्या ऐसा करना कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है? स्पष्ट करें।

(ii) समिति जानना चाहती है कि ₹283.04 करोड़ के राज्यांश का आबंटन किस प्रकार किया गया था।

पैरा संख्या: 2.3.8.6 <u>कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का अपवर्तन</u>

<u>सिफारिश</u>

1. <u>आनी, बडसर, घुमारवीं, कुल्लू न0-1व 2, नाहन, बिलासपुर, वृत शिमला-9 व सोलन</u>:
   उपरोक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।
2. <u>पधर मण्डल</u>: अपवर्तित निधियों को सम्बन्धित शीर्ष में स्थानांतरित करने उपरान्त समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
3. <u>सुंदरनगर मण्डल</u>: समिति को सुन्दरनगर मण्डल में हैण्डपम्प लगाने से सम्बन्धित मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.8.8 <u>विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए अग्रिम भुगतान को अन्तिम व्यय के रूप में प्रभारित</u>

<u>सिफारिश</u>

<u>आनी, अर्की, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, नौहराधार, पधर, अधिशासी अभियन्ता जल शक्ति न0-1 शिमला-9, सोलन, सुंदरनगर व सुन्नी मण्डलों</u>

उपरोक्त मण्डलों से सम्बन्धित विद्युत विभाग से शीघ्रातिशीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

<u>बड़सर मण्डल</u>: विभागीय उत्तर पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

पैरा संख्या: 2.3.8.9 <u>समग्री को अनियमित दर्ज करना</u>

<u>सिफारिश</u>

<u>अिधशाषी अभियन्ता जल शक्ति अर्की, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, कुल्लू, जल शक्ति कुल्लू-2, मण्डी, पधर व अधिशासी अभियन्ता जल शक्ति सुन्नी</u>

उपरोक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

<u>अधिशासी अभियन्ता सि0 एवं जन स्वा0 मण्डल न0-1 शिमला-9</u>

समिति जानना चाहती है कि इस मण्डल के अन्तर्गत जो कार्य आरम्भ किया जाना था क्या वह कार्य पूर्ण कर लिया गया है की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9 <u>कार्यक्रम काकर्यान्वयन</u>

2.3.9.1 बस्तियों की व्याप्ति की प्रगति

सिफारिश

समिति सिफारिश करती है कि विभाग स्कीम के दिशा-निर्देशों का पालन करे और पेयजल की कमी व पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल की पहुंच न होने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दें, इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.2 योजनाओं का कार्यान्वयन

सिफारिश

समिति को 197 अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.3 बंद पडी स्कीमों पर निष्फल व्यय

सिफारिश

अर्की मण्डल

1. गम्बर खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना अर्की विधान सभा क्षेत्र के एन0सी0पी0सी0 हैबीटेशन हेतु निर्माण
2. गम्बर खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना सपाटू क्षेत्र के एन0सी0पी0 सी0सी0 हैबीटेशन हेतु निर्माण
3. बाल्द खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना चण्डी क्षेत्र के एन0सी0पी0 सी0 हैबीटेशन हेतु निर्माण

II. घुमारवीं, मण्डी, नौहराधार, पधर, सुंदरनगर व अधिशासी अभियन्ता जल शक्ति सुन्नी मण्डलों

उपरोक्त मण्डलों से सम्बन्धित विभिन्न कारणों से लम्बित पड़ी योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

III. उठाऊ पेयजल योजना वैहली बगैंण सम्बर्धन

उठाऊ पेयजल योजना भडियना जोहड़ थड़ी बदन ओगली क्षेत्रों के एन0सी0पी0सी0 हैबीटेशन हेतु निर्माण

पिछड़ा क्षेत्र मांगल हेतु उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण

उपरोक्त के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

पैरा संख्या: 2.3.9.5 कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में स्कीमों का कार्यान्वयन

सिफारिश

1. बड़सर मण्डल: समिति को LWSS Aman Kachoti कार्य की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
2. मण्डी मण्डल: विभागीय उत्तर पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

3. पधर मण्डल: समिति जानना चाहती है कि जब योजनाओं का कार्यान्वयन नाबार्ड के अन्तर्गत किया गया था तो इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन बंद क्यों नहीं करवाया गया? स्पष्ट करें।
4. कुल्लू मण्डल न0-1: समिति जानना चाहती है कि क्या एक ही स्कीम को एक से अधिक शीर्षों में सम्मिलित करना उचित है? क्या ऐसा करने से कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ? स्प्ष्ट करें तथा कार्य की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

पैरा संख्या: 2.3.9.6 गैर-अनुमत लागत वृद्धि

सिफारिश

समिति को मामलें की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.7 वन भूमि के विचलन हेतु गैर-अनुमत व्यय

सिफारिश

सुन्दरनगर, मण्डी, पधर मण्डल

उपरोक्त मण्डलों के अन्तर्गत उठाऊ पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.9 तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य का कार्यान्वयन

सिफारिश

अर्की, बड़सर, बिलासपुर, नाहन, नौहराधार, शिमला-9 वृत मण्डल, सोलन, सुन्दरनगर व सुन्नी मण्डल

उपरोक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

देहरा, घुमारवीं, कुल्लू मण्डल

उपरोक्त मण्डलों के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित तकनीकी स्वीकृति की प्राप्ति की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.10 दोषपूर्ण आकलनों को बनाना

सिफारिश

बड़सर मण्डल: समिति को उठाऊ पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव जो उच्च कार्यालय में विचाराधीन हैं तथा जो DPRतैयार की जा रही है से सम्बन्धित की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.11 कार्यों का अलाभकारी कार्यान्वयन

सिफारिश

कुल्लू -2, पधर मण्डल

उपरोक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

मण्डी मण्डल

समिति को विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9.12 कायमता के अन्तर्गत स्कीमों का कार्यान्वयन

सिफारिश

बड़सर, बिलासपुर मण्डल

उपरोक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

हमीरपुर मण्डल

उक्त मण्डल के अन्तर्गत शेष 5 कार्य के निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.10.2 अनुसंधान एवं विकास

सिफारिश

विभाग शीघ्रातिशीघ्र कक्ष की स्थापना/सृजन हेतु उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाकर अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाए।

पैरा संख्या: 2.3.11.1 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना

पैरा संख्या: 2.3.11.2 जल गुणवत्ता जांच

सिफारिश

उक्त मदों के अन्तर्गत विभाग शीघ्रातिशीघ्र शेष प्रयोगशालाओं को स्थापित करना सुनिश्चित करें तथा समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.11.3 फील्ड परीक्षण किटें

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि विभाग द्वारा फील्ड परीक्षण कीटों के माध्यम से जल गुणवत्ता के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु क्या पग उठाए गए की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.11.4 जलजनित रोग

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि विभाग द्वारा पेयजल के दूसरे स्त्रोत जो आई0पी0एच0 विभाग द्वारा संचालित नहीं है, उनकी जल की गुणवत्ता की जांच हेतु क्या पग उठाए गए हैं तथा साथ ही जांच में जो पेयजल स्त्रोत दूषित पाए जाते हैं उनके प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सुझाए गए उपायों से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.12.6 निरीक्षण

सिफारिश

<u>देहरा मण्डल</u>: विभागीय उत्तर के साथ सम्बन्धित प्रपत्र-प संलग्न नहीं किया गया है। अत: प्रपत्र-प की प्रति समिति के अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाएं।

<u>नालागढ़, बिलासपुर व वृत्त शिमला-9 मण्डल</u>

उक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समिति ने कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

पैरा संख्या: 3.10 <u>उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर अनुत्पादक व्यय</u>

समिति ने दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि समिति को बिलासपुर मण्डल के अन्तर्गत कन्दरौर पुल के आर-पार ग्रेविटी मेन लाइन को बिछाने से संबंधित निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि बेसिकली इसमें जो कंदरौर ब्रिज वाला पार्ट था उसको छोड़कर स्कीम बड़े टाइम पर मुकम्मल हो गई थी। ब्रिज पर इश्यू आया था कि एन0एच0 वालों ने बताया कि रेलिंग के पार ऊपर से पाइप्स को गुजार लो जो व्यावहारिक नहीं था । अगर वहां से पाइपें निकालते तो बाद में रिपेयर आदि चीज़ों में दिक्कत आनी थी। उस वजह से आपस में थोड़ी दिक्कत रही और तथ्य यह है कि परमिशन लेने में थोड़ी डिले हुआ। परन्तु अब स्कीम कमीशन हो चुकी है और उस ब्रिज के ऊपर से ही पाइप लाइन गई है। इस पर समिति ने जानना चाहा कि विभाग यह नहीं सोचता है कि अगर विभाग को नेशनल हाईवे या अन्य डिपार्टमैंट से समन्वय करना होता है तो चर्चा पहले करनी चाहिए ? इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि समिति का मत ठीक है यही बेनिफिट जनता को दो साल पहले मिल सकता था। इस पर समिति ने कहा कि बेनिफिट तो जनता को मिलता ही लेकिन जो विभाग का नुकसान हुआ है वह भी नहीं होता। ये बुनियादी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे-ऐसे अफसरों पर विभाग क्या कार्रवाई करता है जोकि ऐसे काम करते हैं ? इसके अलावा समिति एक बात कहना चाहेगी, ये एन0एच0 की बात आई तो देहरा में भी विभाग की देहरा टाउनशिप की एक स्कीम चालू है। एन0एच0 को टच करते हुए पाइपें बिछाई जा रही हैं। यानी कि एन0एच0 की टारिंग के बाद का तीन फुट का बर्म होता है उस एरिया में एक या दो फुट खोदकर पाइपें डाली जा रही हैं। मान लो कल को एन0एच0 का एक्सपेंशन करना है या किसी हैवी ट्रक का टायर उस बर्म के ऊपर पड़ता है तो विभाग की पाइप वहीं पर दबकर खत्म हो जाएगी। क्या कोई ऐसा नियम है कि एन0एच0 का जो कॉर्नर है उसको टच करके पाइप डालनी है या हाईवे से तीन या छ: मीटर छोड़कर पाइपें डालनी हैं? आज यह काम जारी है और वैल्डिंग जोर-शोर से चली हुई है अगर कल को हैवी गाड़ी उनके ऊपर से जाएगी तो वे पाइपें पूरी तरह से क्रश हो जाएंगी। यह सुरक्षित होना चाहिए , अगर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाईवे से छ: फुट या तीन मीटर दूर पाइप्स को डाला जाए क्योंकि कल को इसकी एक्सपेंशन होनी है। भरवाईं से धर्मशाला मेन हाईवे है उसमें ठेकेदार कच्चे पोरशन में जे0सी0बी0 लगाकर फटाफट डिगिंग कर रहा है और पाइपें डाल रहा है। समिति गारंटी से कह सकती है कि कल को दो महीने के बाद विभाग की ये सारी पाइपें टूट जाएंगी या क्रश हो जाएंगी। ऐसा ही एक मामला डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में है। संघनीनाला से सी0आर0एफ0 में रोड वाइडन हो रही है और जहां से वह वाइडन हो रही है उसी में वे पाइप्स डाल रहे हैं। उन्होंने जे0सी0बी0 लगाकर पूरी रोड

उखाड़ दी। जहां पर वे काम कर रहे हैं अब वह रोड वाइडन होनी है । योजना का क्या होगा क्योंकि ये पाइप सड़क के बीचोंबीच बिछाए गए हैं। इसके सन्दर्भ में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति से जानना चाहा कि यह कौन-सी स्कीम है ? इस पर समिति ने कहा कि यह मु0 43 करोड़ रुपये की संघनीनाला से वेरियस विलेज स्कीम है। लेकिन कमेटी ने सिर्फ इतना कहा कि यह तरीका नहीं है और विधानसभा सत्र दौरान में भी सवाल उठाया और विभाग ने जवाब दिया कि मुख्य अभियंता जांच कर रहे हैं। उस पूछताछ का क्या हुआ। जब अगला सत्र आयेगा तब विभाग से इसके बारे में पूछेंगे क्योंकि इस सत्र में विभाग ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है। उसमें सब-स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि समिति ने जिस इंक्वायरी का ज़िक्र किया है विभाग मुख्य अभियंता को समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देगा। विभागीय अधिकारी स्वयं उस स्थान का दौरा करेगा। विभाग इसको करवा देगा। इस पर समिति ने जानना चाहा कि इस प्रकार देहरा टाउनशिप की 18 करोड़ रुपये की स्कीम है। रोड वाइडनिंग तो होनी ही है लेकिन नेशनल हाईवे की बर्म में पाइपें डाली जा रही हैं जोकि भविष्य में नुकसानदायक सिद्ध होंगी। कल को पाइपें टूटेंगी और दोबारा से लोकेशन चेंज होगी तो उसका क्या फायदा है ? अगर पहले ही यह डिसाइड कर दें कि हाईवे से 6 मीटर दूर पाइपें डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग ऐसा ही करेगा, समिति का सुझाव ठीक है। अगर लैंड का इश्यू न हो तो विभाग बाहर ही जाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यही आ जाती है कि लैंड प्राइवेट होती है। इस पर समिति ने जानना चाहा कि एक और विषय है कि विभाग का अन्य विभागों के साथ आपस में कोर्डिनेशन नहीं रहता। विशेष रूप से पी0डब्ल्यू0डी0 और आई0पी0एच0 का कोई कोर्डिनेशन नहीं है। इधर पी0डब्ल्यू0डी0 मैटलिंग व टारिंग करके हटता है और उधर आई0पी0एच0 वाले पाइप लाइन बिछाना शुरू कर देते हैं। अबड एस्टीमेट में ऐसा प्रोविजन रहता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं तो उसे हर्जाना देते हैं। बहुत-सी स्कीम्ज में अब ऐसा सामने आ रहा है कि हर्जाना नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जहां पर रोड डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके एवज में पी0डब्ल्यू0डी0 को पैसा दिया जाए। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि ऐसा प्रोविजन होता है। इस पर समिति का मत है कि यह सब डिपार्टमैंट को देखना है कि विभाग कैसे अपनी पाइपों की सेफ्टी रखें ताकि 100 साल तक वहां पर नुकसान न हो। बेसिक चीज़ यह है। सुन्दरनगर चुनाव क्षेत्र की जो वाटर सप्लाई स्कीम है नदौन खड्ड से होते हुए बनायक के लिए पाइप जानी है, वहां पर एम0सी0 द्वारा पेवर बिछा दिए गए। अब सारा गांव इकट्ठा होकर लाइन नहीं बिछाने दे रहा। अगर उसको दूसरी रोड से घुमाकर ले जाएंगे तो उससे कॉस्ट बढ़ रही है। जब पेवर बिछ रहे थे तो तभी उनको कहा था कि विभाग आपस में तालमेल करके पेवर बिछाने से पहले पाइपलाइन डाल दो तो अच्छा रहेगा। हालांकि डिपार्टमैंट यह भी बोल रहा था कि साथ-साथ पेवर को ठीक कर देंगे लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे हैं। समिति के कहने का तात्पर्य यह है कि काम को करने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0, आई0पी0एच0, एम0सी0 और संबंधित विभागों में आपस में तालमेल अवश्य होना चाहिए तभी विभाग के काम सही ढंग से हो सकते हैं। अत: समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा उपरान्त पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

टिप्पणी

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय उत्तर पर विचार -विमर्श करने उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुएपैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

राजस्व क्षेत्र

पैरा संख्या: 1.1, 1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति
1.1.3

सिफारिश

समिति निर्देश देती है कि विभाग भविष्य में बजट आकलन तैयार करते समय बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए बजट आकलन तैयार करें ताकि बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर कम से कम हो तथा बजट आकलन वास्तविक प्रतीत हो।

पैरा संख्या: 1.2 राजस्व बकायों का विश्लेषण

सिफारिश

समिति को मु0 165.48/- करोड़ रूपये की राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 1.6 लेखा परीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

सिफारिश

समिति ने इस पैरे को यहां से इस आशय से समाप्त किया है कि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के पैरा संख्या: 1.6 में अपेक्षित रहेगी।

पैरा संख्या: 1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है।

*****